रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1569] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 25, 2018/ वैशाख 5, 1940
No. 1569] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 25, 2018/ VAISAKHA 5, 1940

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2018

का.आ. 1731(अ).—जबकि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में, केरल राज्य से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का सदस्य, जिस राज्य में भारतीय चिकित्सा राज्य पंजिका का रख-रखाव किया जाता है, उस राज्य की पंजिका में आयुर्वेद चिकित्साभ्यासियों के रूप में दर्ज व्यक्तियों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित किया गया है।

अब, अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, पूर्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग में अधिसूचना सं.का.आ. 3259 तारीख 21 अगस्त, 1971 में निम्नांकित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में "धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अतंर्गत निर्वाचित" शीर्षक के अधीन केरल राज्य के समक्ष आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति संबंधी स्तम्भ 2, 3 और 4, में की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

2	3	4
"1. डॉ. मनोज कलूर शांता विल्ला, पुथियारा पी.ओ., कोजिकोडु(जिला) केरल - 673004	आयुर्वेद	24 जनवरी, 2018"

2. डॉ. रेजित ए, मीरा, ए.पी. 1/599, ताझुतला, कोट्टियम पी.ओ., कोल्लम (जिला), केरल - 691571		

[फा.सं. ए. 11019/22/2016-ईसी/सीसीआईएम निर्वाचन]

प्रमोद कुमार पाठक, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 3259 तारीख 21 अगस्त, 1971 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन सं. का.आ. 3518(अ) तारीख 2 नवंबर, 2017 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2018

S.O. 1731(E).—Whereas in pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), hereinafter referred to as the said Act, members for Ayurveda system of medicine from the State of Kerala in which the State Register of Indian Medicine is maintained, have been elected from amongst themselves by persons enrolled on that Register as practitioners of Ayurveda.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Health and Family Welfare, Department of Health number S.O. 3259, dated the 21st August, 1971, namely:-

In the said notification, in the Table, under the heading " Elected under clause(a) of sub- section (1) of section 3" against the State of Kerala, for the entries in columns 2, 3, and 4 relating to Ayurveda system of medicine, the following entries shall be substituted, namely:-

2	3	4
"1. Dr. Manoj Kaloor Shantha Villa, Puthiyara P.O, Kozhikodu(Dt), Kerala – 673004 2. Dr. Rejith A, Meera, A.P.1/599, Thazhuthala, Kottiyam P.O, Kollam (Dt), Kerala – 691571	Ayurveda	24th January, 2018".

[F.No. A.11019/22/2016-EC/CCIM Election]

PRAMOD KUMAR PATHAK, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 3259, dated the 21st August, 1971 and last amended *vide* number S.O. 3518 (E), dated the 2nd November, 2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.04.27 18:56:54 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.